झारखण्ड सरकार श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

	_	- 0
अ	धसूचन	1
VI	1011	

	911-1-1	O
		दिनांक
एस0ओ0		

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा—3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद् संबंधी संलग्न अनुसूची—1 में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों मे नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक तालिका के स्तम्भ—2 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा—2 के खण्ड (डी) के प्रयोजन के निमित तालिका के स्तम्भ—3 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्र0 सं0	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2016 = 100)
1	2	3
1.	जनवरी, 2024	138.9
2.	फरवरी, 2024	139.2
3.	मार्च, 2024	138.9
4.	अप्रैल, 2024	139.4
5.	मई, 2024	139.9
6.	जून, 2024	141.4
7.	कुल	837.7
8.	6 माह का औसत	837.7÷6 = 139.616
9.	Conversion from new series ($2016 = 100$) to Old series ($2001 = 100$)	139.616 × 2.88 = 402.09 या 402
10.	जनवरी, 2023 से जुन, 2023 की अवधि के आधार पर पुनरीक्षित / निर्धारित औसत सूचकांक	386 बिन्दु
200	सूचकांक में वृद्धि	402 — 386 = 16 बिन्दु
11.	प्रतिशत वृद्धि = <u>16 x 100</u> 386	4.14 %

2. परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर संलग्न अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित / पुनरीक्षित की गई है। उल्लेखनीय है कि जनवरी, 2023 से जून, 2023 की अविध के औसत सूचकांक के आधार पर व झारखण्ड न्यूनतम् मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के बैठक के आधार पर पुनरीक्षित न्यूनतम् मजदूरी की मूल दरें दिनांक—11.03.2024 से प्रभावी है।



- माह जुलाई, 2023 से दिसम्बर, 2023 की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में
 14 बिन्दु की बढ़ोत्तरी हुई थी परन्तु दिनांक-11.03.2024 से पुनरीक्षित मूल मजदूरी लागू किए
 जाने के कारण परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता घोषित नहीं करने का निर्णय लिया गया था।
 - 4. सूचकांक में यथा स्थिति वृद्घि अथवा ह्वास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ–3 में अंकित दर से वृद्घि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील महँगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी।
 - 5. परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता का भुगतान हेतु दर , जो जनवरी से जून, 2024 (वर्ष-2024 का प्रथम अर्द्धाश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक-01.10.
 2024 की तिथि से देय होगा।

संख्या—2 / एम0डब्लू0—2071 / 2010 (भाग—3), श्र0नि0, ि पूर्व , राँची, दिनांक प्रिप्ति । भू प्रिप्ति ।

अवर सचिव, श्रमायुक्त, कार्यालय, झारखण्ड।

अधिसूचना

एस0ओं0.....दिनांकका अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद—348 के खण्ड—3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

14/10/2020

श्रमायुक्त, कार्यालय, झारखण्ड।

NOTIFICATION

S.O....../In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in schedule employments mentioned in the attached Schedule-1, for the months shown in column-2 of the schedule mentioned below, shall be as shown in column-3 of the said schedule for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

he said	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (2016 =100)
	2	3
1		138.9
1	January, 2024	120.2
2	February, 2024	139.2
	March, 2024	138.9
3		139.4
4	April, 2024	
	May, 2024	139.9
5		141.4
6	June, 2024	0277
7	Total	
	Aviorage	837.7 ÷ 6= 139.616
8	Average	$120.616 \times 2.88 = 402.09$
9	Conversion from new series (2016 = 100)	100
,	to Old series (2001 = 100)	139.2 138.9 139.4 139.9
10	Revised/determined average index based on the	206 Point
10		386 Point
2 -	period January, 2023 to June, 2023	100 200 - 16 Point
	Increase in CPI	402 - 386 = 16 Point
	16 V 100	4.14 % increase
11	Percentage Increase = $\underline{16} \times 100$	
	386	

- 2. The rates of variable dearness allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the schedule employments. It is noteworthy that on the basis of the average index for the period from January, 2023 to June, 2023 and on the basis of the meeting of Jharkhand Minimum Wage Advisory Board, the revised basic rates of minimum wage are effective from 11.03.2024.
- 3. All India Consumer Price Index for the period of July 2023 to December 2023, there was an increase of 14 points but due to the implementation of revised basic minimum wages from dated 11.03.2024, it was decided not to declare Variable Dearness Allowance for the said period.



- 4. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column-3 of schedule with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages had been fixed/revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.
- 5. The payment of variable dearness allowance are on the basis of average of All India Consumer Price Index of January-June, 2024, which is 1st half of 2024, will be payable **from** 01.10.2024.

No-2/MW-2071/2010(Bhag-3) L&T- 1846 Ranchi, Dated 14/10/24

By Order of the Governor of Jharkhand,

Under Secretary,

Labour Commissioner Office, Jharkhand.

अनुसूची - 1

दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के बैठक में हुए सहमति के आलोक में न्यूनतम मजदूरी पुनरीक्षण हेतु निर्धारित 90 अधिसूचित नियोजनों (12 खण्ड दर नियोजन सहित) का वर्गीकरण एवं झारखण्ड राज्य के क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नवत है :-

90 अनुसूचित नियोजन (खण्ड दर नियोजन सहित) का वर्गीकरण

क्र०	श्रेणी "क"	क्र०	श्रेणी "ख"
सं०	(कुल 49 नियोजन)	सं०	(कुल 41 नियोजन)
1	2	3	4
1.	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों में नियोजन	1.	खण्ड् सारी उद्योग में नियोजन
2	पेट्रोल एवं डीजल पम्प्स में नियोजन	2.	खादी ग्रामोद्योग में नियोजन
3	इस अनुसूची में किसी भी अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत आने वाले के अलावा दुकानों या प्रतिष्ठानों या उद्योगों में नियोजन	3.	अबरक् कार्यों(खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) में नियोजन
4	होटल, भोजन–गृहों एवं रेस्तराओं में नियोजन	4.	हैंडलूम उद्योग में नियोजन
5	सिनेमा उद्योग में नियोजन	5.	को–आपरेटिव सेक्टर में नियोजन
6	मेस, कैन्टीन एवं क्लब में नियोजन	6.	होजियारी निर्माण में नियोजन
7	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्ते) अधि० 1976 से आच्छादित नियोजन	7.	उड वर्क्स एवं फर्नीचर में नियोजन
8	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों में नियोजन	8.	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान में नियोजन
9	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माणकार्यों में नियोजन	9.	डेयरी एवं पोल्ट्रीफर्म्स में नियोजन
10	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं विलनिक्स में नियोजन	10.	सिलाई उद्योग में नियोजन
11	किसी विश्व विद्यालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान में नियोजन	11.	ट्यूब निर्माण उद्योग में नियोजन
12	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी में नियोजन	12.	जिल्दसाजी उद्योग में नियोजन
13	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इंस्ट्च्यूट , निजी स्कूल आदि (गैर शिक्षण) में नियोजन	13.	एस्ट्राबोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण मे नियोजन
14	कम्प्युटर शिक्षा संस्थान आदि में नियोजन	14.	. 0
15	0 1 - D1 - D1 1	15.	3
16	स्पंज आयरन, छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट में नियोजन	16.	3
17		17.	
18	चार्टेड / कॉस्टअकाउंट्स / ऑंडिटर / टैक्स कंसल्टेन्सी एंड आर्किटेक में नियोजन	18.	
19	1 C 2 2	19.	. लॉन्ड्री एवं वॉशिंग में नियोजन

	C - int i Aniza	20.	आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स में नियोजन
20	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट में नियोजन	21.	प्राइवेट फेरिज एण्ड एल०टी०सी० में नियोजन
21	अल्यूमिनियम उद्योग में नियोजन	22.	फिशरीज़ में नियोजन
22	केमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग में	22.	[4/x[([0] -1] [4][0]]
23	नियोजन साबुन निर्माण उद्योग में नियोजन		पंडाल आदि का साज सज्जा आदि में नियोजन
24	सीमेंट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग में नियोजन	24.	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राईवर/ खलासी/ परिचालक आदि नियोजन
25	एसबेस्ट्स सीमेंट कारखाना में नियोजन	25.	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप में नियोजन
	ग्लास सीट निर्माण में नियोजन	26.	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान में नियोजन
26	बन्दुक कारखाने में नियोजन	27.	कृषि नियोजन
27	बन्दुक कारखान न गियालग	28.	बुहारने और सफाई का कार्य में नियोजन
28	पेपर उद्योग में नियोजन	29.	सिंदुर एवं रंग बनाने का उद्योग में नियोजन
29	रिफैकट्ररीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स	29.	
	उद्योग में नियोजन	30.	केन्दू पत्ता तोड़ने एवं तैयार करने में नियोजन
30	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन	31.	लादने-उतारने में नियोजन
31	शीशा उद्योग (ग्लास शीट को छोडकर) में	51.	CITAL POSITION OF THE PROPERTY
	नियोजन ढलाई (फाउण्ड्री उद्योग) में नियोजन	32.	मिट्टी काटने के कार्य में नियोजन
32	कोल ब्रिकेट उद्योग में नियोजन	33.	ईंट निर्माण में नियोजन
33	मिनरल ग्राईंडिंग में नियोजन	34.	बीडी निर्माण में नियोजन
34	ग्राईंडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल ओर में	35.	पावरलूम इण्डस्ट्रीज में नियोजन
35	ग्राहाड्य एण्ड क्राराग जाम समस्य जार । नियोजन		
36	हार्ड कोक भट्टा में नियोजन	36.	वन का संचालन तथा लकड़ी काटने के कार्यों में नियोजन
37	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं में नियोजन	37.	
38	चर्म-वस्तु निर्माण में नियोजन	38.	से निर्माण सहित सिल्क उद्योग में नियोजन
39	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) में नियोजन	39.	1 1 1 1 1 1 1 1
40	०५) — नी का ग्राष्ट्रा एव	i 40.	. चाय बगान में नियोजन
	0000	41	. घरेलू नौकर का नियोजन
41	1000 के के प्राप्त गाउँ में		6
42	नियोजन		
	- On the min it Andrea		
43	1 10 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
44	्राध्यात्र व्याप्तित अधियांत्रा	П	
45	दुकानों को छोड़कर) में नियोजन		
46			
47	C ' — CENTRUL HOLD TO THE CONTROL OF	र्ग	
48	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन		
49	काराजिय	प्रों में	



झारखण्ड राज्य के जिलों /क्षेत्रों का वर्गीकरण

क्र0स0	श्रेणी	आच्छादित क्षेत्र
1	2	3
1	Α	राँची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद् क्षेत्र एवं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र।
2	В	"A" श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी जिलों के नगरनिकाय क्षेत्र (नगरनिगम, नगर परिषद् व नगर पंचायत)
3	С	राज्य के अन्य क्षेत्र

"A" श्रेणी के क्षेत्र (राँची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद् क्षेत्र एवं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र) हेतु दिनांक—01.10.2024 से निर्धारित न्यूनतम् मजदूरी (V.D.A. सहित) इस प्रकार है:—

दैनिक दरें

	कोटि	"क" श्रेणी	के नियोजन हेतु दै	"ख" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें			
क्र. सं.	ФПС	दिनांक- 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक– 01.10.2024 से देय)	कुल	दिनांक— 11.03.2024 से निर्घारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक 01.10.2024 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	468	19	487	446	18	464
2	अर्द्धकुशल	491	20	511	468	19	487
3	कुशल	647	27	674	616	26	642
4	अतिकुशल	746	31	777	711	29	740

मासिक दरें

क्र. सं.	कोटि	"क" श्रेणी	के नियोजन हेतु दै	निक दरें	"ख" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें		
		दिनांक— 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक— 01.10.2024 से देय)	कुल	दिनांक— 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक— 01.10.2024 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	12,168	504	12,672	11,596	480	12,076
2	अर्द्धकुशल	12,766	529	13,295	12,168	504	12,672
3	कुशल	16,822	696	17,518	16,016	663	16,679
4	अतिकुशल	19,396	803	20,199	18,486	765	19,251

for

"B" श्रेणी के क्षेत्र ("A" श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी जिलों के नगरनिकाय क्षेत्र) हेतु दिनांक— 01.10.2024 से निर्धारित न्यूनतम् मजदूरी (V.D.A. सहित) इस प्रकार है:—

दैनिक दरें

क्र. सं.	कोटि	टि "क" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें			'ख' श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें 			
		दिनांक— 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भता (दिनांक— 01.10.2024 से देय)	कुल	दिनांक— 11.03.2024 से निर्घारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक 01.10.2024 से देय)	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	अकुशल	446	18	464	425	18	443	
2	अर्द्धकुशल	468	19	487	446	18	464	
3	कुशल	617	26	643	588	24	612	
4	अतिकुशल	712	29	741	678	28	706	

मासिक दरें

क्र.	कोटि	"क" श्रेणी	के नियोजन हेतु वै	निक दरें	'ख' श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें		
ਜਂ.	4/110	दिनांक— 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक— 01.10.2024 से देय)	कुल	दिनांक— 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक– 01.10.2024 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	11,596	480	12,076	11,050	457	11,507
2	अर्द्धकुशल	12,168	504	12,672	11,596	480	12,076
3	कुशल	16,042	664	16,706	15,288	633	15,921
4	अतिकुशल	18,512	766	19,278	17,628	730	18,358



"C" ाणी के क्षेत्र (राज्य के नगर निकाय क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र) हेतु दिनांक—01.10.2024 से निर्धारित न्यूनतम् मजदूरी (V.D.A. सहित) इस प्रकार है:─

दैनिक दरें

क्र. को सं.	कोटि	"क" श्रेणी व	के नियोजन हेतु दै	"ख" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें			
XI.		दिनांक— 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक— 01.10.2024 से देय)	कुल	दिनांक— 11.03.2024 से निर्घारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक— 01.10.2024 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	425	18	443	405	17	422
2	अर्द्धकुशल	446	18	464	425	18	443
3	कुशल	588	24	612	560	23	583
4	अतिकुशल	678	28	706	646	27	673

मासिक दरें

क .	कोटि	"क" श्रेणी	के नियोजन हेतु दे	निक दरें	"ख" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें			
सं.		दिनांक— 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक– 01.10.2024 से देय)	कुल	दिनांक— 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक— 01.10.2024 से देय)	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	अकुशल	11,050	457	11,507	10,530	436	10,966	
2	अर्द्धकुशल	11,596	480	12,076	11,050	457	11,507	
3	कुशल	15,288	633	15,921	14,560	603	15,163	
4	अतिकुशल	17,628	730	18,358	16,796	695	17,491	



यह अधिसूचना दिनांक-01.10.2024 से प्रभावी होगी।

टिप्पणी :-

- (क) न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों का पुनरीक्षण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 386, जो जुन, 2023 के सूचकांक व झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद की बैठक में हुए सहमति / विमर्श पर आधारित है।
- (ख) जनवरी, 2024 से जून, 2024 तक का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 402, के आधार पर परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता देय है।
- (ग) झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद की सहमति के आलोक में परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता पूर्णांक (round off) में परिवर्तित कर दिया गया है।
- (घ) न्यूनतम मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा—4 की उप धारा—4(1) के खण्ड (III) के अन्तर्गत होंगी।
- (ड़) मासिक मजदूरी की दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में रुपांतरण क्रमशः 26 से भाग दे कर और 26 से गुणा कर के किया जाएगा।
- (च) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त निर्धारित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।
- (छ) साप्ताहिक विश्राम के दिन काम करने वाले कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम—25 में विहित दर से समयोपरि काम का भुगतान पाने का हकदार होगा।
- (ज) पुरुष या स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

R

Annexure- 1

In the light of the consensus reaches in the meeting of Jharkhand Minimum Wages Advisory Board on October 11, 2023, the classification of 90 notified schedule Employments (including 12 Piece rated schedule Employments) fixed for the minimum wage revision and the classification of areas of Jharkhand state is made as follows:-

Classification of 90 Scheduled Employments (including Piece Rate Employment)

SI.	CATEGORY "吞" (Total 49 Employments)	Sl. No.	CATEGORY "母" (Total 41 Employments)		
No.	2	3	4		
1.	Employment in Shops selling cooked food stuff	1.	Employment in Khand Sari Industry		
2.	Employment in Petrol & Diesel Pumps	2.	Employment in Khadi & Village Industry		
3.	Employment in shops or establishment or industries other than that covered under any of the other entries in this schedule	3.	Employment in Mica Works (Factories &Estd. excluding Mines)		
4.	Employment in Hotels, Eating Houses & Restaurants.	4.	Employment in Handloom Industries		
5.	Employment in Cinema Industry	5.	Employment in Co-operative sector.		
6.	Employment in Mess, Canteen & Clubs	6.	Employment in Hosieries Manufacturing.		
7.	Employment in sales promotion (Conditions of service) Act, 1976.	7.	Employment in Wood works & Furniture.		
8.	Employment in Dam Construction & Irrigation.	8.	Employment in Any woolen carpet making and shawl weaving establishments		
9.	Employment in Construction of Maintenance of Road or in building		Employment in Dairies and Poultry Farms.		
10.	construction. Employment in Private Hospitals Nursing Homes and Clinics	10.			
11	Employment in Any Universities, Educational Research or Cultural	11	Bulbs & Florence Tube manufacture Industry		
12	Institution.Employment in Private security agency.	12			
13	Employment in Private Technical Institution, Coaching Institute & Private Schools (Non-teaching).	13	Board, Corrageted Board, Gatta Board Manufactory.		
14	Commuter Educational	14	4. Employment in Plywood Industry		



5. I	Employment in Rice Mill, Flour Mills,	15.	En	ployment in Biscuits Industry		
). I	Dal Mills & Oil Mills.					
4 I	Employment in Sponge Iron, Rod	16.	Eı	mployment in Printing Press.		
6. I	Manufacturing & Manufacturing of angle					
	From Iron & Ingots.					
7 1	Employment in laying of Under Ground	17.	Er	nployment in Potteries.		
7. I	Cables, Electronic lines, Water supply					
	Cables, Electronic lines, Water supply					
	lines & Sewerage Pipe Line. Employment in Chartered/Cost Accounts,	18.	Eı	mployment in Bakeries &		
8.	Auditors, Tax Consultancy and Architects.		C	onfectionaries.		
	Auditors, Tax Consultancy and Members.	19.	E	mployment in Laundry & Washing.		
19.	Employment in Mobile Tower	20.	E	mployment in Ice cream and cold drink.		
20.	Employment in Public Motor Transport	21.	E	mployment in Private Ferries and L.T.C		
21.	Employment in Aluminum Industry		E	Imployment in Fisheries.		
22.	Emploment in Chemical Pharmaceutical	22.	E	improviment in i isheries.		
250 CASSA - 12	Industry		_	Description of Pandal		
23.	Employment in Soap Making Industry	23.		Employment in Decoration of Pandal		
25.		0.1	e	etc. Employment in Bus and Truck		
24.	Employment in Cement prestessed	24.	T	Driver/Conductor & Cleaners.		
	products Industry.	25.				
25.	. 1 1 -t- Coment Factory		1	Employment in Motor garages &		
20.		100	-	Workshops. Employment in Religious & Social		
26.	Employment in Glass Sheet Building	26.		Industry.		
	•			•		
27.	Employment in Gun Factory	27.		Employment in Agriculture.		
27.				Garaging & Cleaning		
28.	Employment in Paper Industry	28	.	Employment in Sweeping & Cleaning.		
29.	Employment in Refractories, Fire Bricks,	29		Employment in Sindur and colour		
27.	Ceramic Industry.			manufacturing Industries.		
30.	Employment in Plastic Industry	30		Employment in Plucking and Processing		
50.	Employment			of kendo-leaves		
2.1	Employment in glass industries (excluding	g 31		Employment in Loading and Unloading		
31.				Operation.		
	glass sheet)	32	2.	Employment in Earth Cutting Operation		
32.	Employment in Foundry Industries		380			
	2 ID to U. La directorion	3	3	Employment in Brick Manufacturing		
33.	Employment in Coal Briquette Industries		4.	Employment in Beedi Manufacturing.		
34.		3	1.	Employment in 2001		
	Industries	0 0	_	Employment in Power Loom Industry		
35.	Employment in Grinding and Crushing of	1 3	5.	Employment in Fower Boom measury		
0000000000	Mineral ore.			To I Forester and Timberine		
36.	Employment in Hard coke ovens.	3	6.	Employment in Forestry and Timbering		
50.	1			Operation Salasan		
37.	. Employment in Tanneries & Leather	3	7.	Employment in Hair Cutting Saloon		
31.	manufactory.					
	, <u>y</u> da	3	38.	Employment in Silk Industry		
38				Manufactory from pure Silk, artificial		
	Manufacturing.			silk and other staple yarn		
20	Rubber and rubber compound industry (in :	39.	Employment in Stone Breaking and		
39. Rubber and rubber compound industry (in				Stone Crusher Operation		



	which manufacture of tyre & tube is also included).		The Ni-station
40.	Employment in Cement Hume Pipe, Electric Pole & Railway Sleeper manufacture Industry	40.	Employment in Tea Plantation
41.	Employment in Distilleries.	41.	Employment of Domestic Servant
42.	Employment in Electricity Generators and supply.		
43.	Employment in Auto Mobile Engineering.		4.4.
44.	Employment in Electronic Industries.		
45.	Employment in Minor Engineering Industry (excluding Auto Mobile Engineering Shops)		
46.	Employment in Motor Body Building		
47.	Employment in Manufacture of Gold/Silver Ornaments & Articles of Artistic Design		
48.	Employment in Cold Storage.	-	
49.	Employments of workers engaged in Government Offices/Undertakings/Boards & Local Bodies in the state of Jharkhand.	8	

Classification of districts/ areas of Jharkhand State.

Sl.No.	Category	Covered Areas
	2	3
1	A	Ranchi Municipal Corporation, Chas Municipal Corporation, Dhanbad Municipal Corporation,
		Deoghar Municipal Corporation, Hazaribagh Municipal Corporation and Jamshedpur Notified Area, Mango Municipal Corporation,
		Jugsalai Municipal Council and Adityapur Municipal Corporation Areas.
2	В	All Civic Body/ Municipal Areas and Notified Area except "A" category)
3	С	Other areas of the state.



The Minimum Wage for "A" Category area (Ranchi Municipal Corporation, Chas Municipal Corporation, Dhanbad Municipal Corporation, Deoghar Municipal Corporation, Hazaribagh Municipal Corporation and Jamshedpur Notified Area, Mango Municipal Corporation, Jugsalai Municipal Council and Adityapur Municipal Corporation Areas) from dated 01.10.2024 is as follows:-

Daily Rates

Sl.No.	Category	Daily wages for '西' Category' of Employment			Daily wages for '语' Category' of Employment		
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f.	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total
	2	3	4	5	6	7	8
1	2	0			116	18	464
1	Unskilled	468	19	487	446	10	
				-44	468	19	487
2	Semi Skilled	491	20	511	400	10	
	-		07	674	616	26	642
3	Skilled	647	27	0/4	010		F-970 (1890)
			24	777	711	29	740
4	Highly Skilled	746	31	111	(1)		

Monthly Rates

Sl.No.	Category		es for ' ō' Cate Employment	gory' of	Daily wages for 'ব্ৰ' Category' of Employment		
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total
	2	3	4	5	6	7	8
1	Unskilled	12,168	504	12,672	11,596	480	12,076
2	Semi Skilled	12,766	529	13,295	12,168	504	12,672
3	Skilled	16,822	696	17,518	16,016	663	16,679
4	Highly Skilled	19,396	803	20,199	18,486	765	19,251



The Minimum Wage for "B" Category area (All Civic Body/ Municipal Areas and Notified Area except "A" category) from dated 01.10.2024 is as follows:-

Daily Rates

Sl.No.	Category		es for ' क' Cate Employment	gory' of	Daily wages for '묙' Category' of Employment			
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total	
	2	3	4	5	6	7	8	
1	Unskilled	446	18	464	425	18	443	
2	Semi Skilled	468	19	487	446	18	464	
3	Skilled	617	26	643	588	24	612	
4	Highly Skilled	712	29	741	678	28	706	

Monthly Rates

Sl.No.	Category		es for 'ক' Cate Employment	gory' of	Daily wages for 'ব্ৰ' Category' of Employment			
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total	
	2	3	4	5	6	7	8	
			480	12,076	11,050	457	11,507	
1	Unskilled	11,596	400	12.,010				
2	Semi Skilled	12,168	504	12,672	11,596	480	12,076	
			604	16,706	15,288	633	15,921	
3	Skilled	16,042	664	10,700	10,200	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	Highly Skilled	18,512	766	19,278	17,628	730	18,358	
4	Highly Skilled	10,512						



The Minimum Wage for "C" Category area (Areas other than municipal areas of the State) from dated 01.10.2024 is as follows

Daily Rates

Sl.No.	Category		es for 'ক' Cate Employment	gory' of	Daily wages for '묙' Category' of Employment		
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unskilled	425	18	443	405	17	422
2	Semi Skilled	446	18	464	425	18	443
3	Skilled	588	24	612	560	23	583
4	Highly Skilled	678	28	706	646	27	673

Monthly Rates

Sl.No.	Category		es for ' o' Cat e Employment	egory' of	Daily wages for 'ব্ৰ' Category' of Employment			
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Unskilled	11,050	457	11,507	10,530	436	10,966	
2	Semi Skilled	11,596	480	12,076	11,050	457	11,507	
3	Skilled	15,288	633	15,921	14,560	603	15,163	
4	Highly Skilled	17,628	730	18,358	16,796	695	17,491	



6. This notification will be effective from 01.10.2024.

NOTE:-

- (a) The Basic rates of Minimum wages are based on the All India Consumer Price Index Number 386, which is Price Index of June, 2023
- (b) The average Consumer Price index from January, 2024 to June, 2024 is 402, on which variable dearness allowance is payable.
- (c) In the light of the consent of Jharkhand Minimum wage Advisory Board, the rate of variable dearness allowance has been rounded off.
- (d) The rates of Minimum Wages shall be within the meaning of clause (III) Of sub-section (1) of section-4 of the Minimum Wages Act, 1948.
- (e) Conversion of the monthly rates of wages into daily rates of wages and vice versa shall be worked out by dividing the monthly rates by 26 and multiplying the daily rates by 26.
- (f) The rates of Minimum Wages above include the remuneration payable to the employees in respect of the day of rest in every period of seven days.
- (g) An employee shall, for the work done on the weekly day of rest, be entitled to overtime payment of the rate prescribed in rule-25 of the Jharkhand Minimum Wages Rules-1951.
- (h) Men and Women workers shall get the same rates of wages for the work of a similar nature.

No-2/MW-2071/2010(Bhag-3), L & T	Ranchi, Dated
	By order of the Governor of Jharkhand,

Under Secretary,

Labour Commissioner Office, Jharkhand.

ज्ञापांक—2/एम०डब्लू०—2071/2010(भाग—3), श्र०नि० हिंपू है राँची, दिनांकः 14/10/2 प्रातिलिपिः— अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की ५०० प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अवर सचिव,

श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।

ज्ञापांक—2/एम॰डब्लू॰—2071/2010(भाग—3), श्र॰नि॰...ि...श्रि... राँची, दिनांकः... प्रि...ि... प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन ,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,

श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।

ज्ञापांक—2 / एम०डब्लू०—2071 / 2010(भाग—3), श्र०नि०...|..र्रि...पूर्वंची,

दिनांकः 14/10/24

प्रतिलिपि:— अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उपनिदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल), भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम शक्तिभवन, नईदिल्ली / क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/ निदेशक, लेबर ब्यूरो, शिमला /चण्डीगढ़ /स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/ सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड/ सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के सभी सदस्य गण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम,रांची/ निदेशक, सूचना एवं जन—सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रांची/ सभी विभागीय पदाधिकारियों (तकनीकी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

जित्ता सिविव,

श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।